महत्वपूर्ण
पंचायत निर्वाचन
तत्काल

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011
******

क्रमांक एफ–35–01/2016/तीन/ 53 — भोपाल, दिनांक 26/02/2016

प्रति,

कलेक्टर (नाम से)
एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–समस्त
(मध्य प्रदेश).

विषयः– पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के सतत् पुनरीक्षण कार्यक्रम के द्वितीय चरण में आंशिक संशोधन।

Sub: Revised Programme for IInd Phase of Continuous revision of Photo Electoral Roll for Panchayats.

संदर्भः– आयोग का पत्र क्रमांक एफ–35–01/2016/तीन/42–44, दिनांक 08/02/2016.

******

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें, जिसके द्वारा पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के सतत् पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग द्वारा उक्त कार्यक्रम के द्वितीय चरण में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

द्वितीय चरण संशोधित कार्यक्रम

क्र.	द्वितीय चरण (प्रारूप मतदाता सूची पर दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना)	निर्धारित तारीख
1.	मतदाता सूचियों के प्रकाशन के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में सूचना भेजना तथा प्रचार–प्रसार करना। प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण ।	22/03/2016
2.	मतदाता सूचियों के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के कार्य की शुरूआत ।	11/04/2016
3.	दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख ।	26/04/2016
4.	प्राप्त दावा तथा आपत्तियों के निपटारें की आखिरी तारीख ।	03/05/2016
5.	दावे तथा आपत्तियों के निराकरण पश्चात 1. परिवर्धन 2. संशोधन 3. विलोपन की पाण्डुलिपि एवं फार्म (क,ख,ग,घ) वेण्डर को डाटा एंट्री हेतु उपलब्ध कराना ।	05/05/2016
6.	वेण्डर से प्राप्त चेकलिस्ट का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जॉच करवाना तथा हस्ताक्षर के उपरांत चेकलिस्ट में संशोधन करवाना ।	07/05/2016
7.	वेण्डर द्वारा मतदाता सूची, अनुपूरक सूची सहित मुद्रण कर जिला कार्यालय को प्रदाय किया जाना ।	10/05/2016
8.	मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन। (रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा)	10/05/2016
9.	अंतिम मतदाता सूची विक्रय के लिए उपलब्ध कराना ।	10/05/2016

2. कृपया संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. म. प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक डी–6/2/2016/14–3, दिनांक 09 फरवरी, 2016 द्वारा 01मार्च, 2016 से 15 अप्रैल,2016 तक प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसान सभा आयोजित किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है । कृपया उक्त अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने,संशोधन के संबंध में समस्त ग्रामवासियों को भी अवगत कराया जावे तथा मतदाता सूची कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।

4. इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति ई–मेल द्वारा तत्काल भेजें।

(दीपक सक्सेना)
उप सचिव
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक एफ–35–01/2016/तीन/54 भोपाल, दिनांक 26/02/2016

प्रतिलिपि –

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
7. पुलिस महानिदेशक,मध्यप्रदेश पुलिस भोपाल।
8. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
10. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु अग्रेषित।
12. आयुक्त–सह–नियंत्रक/उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा की ओर अग्रेषित।
13. लेखाधिकारी(बजट/निर्वाचन) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
14. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. व्यय लेखा/स्टोर (स्थापना/निर्वाचन) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. आई.टी. शाखा प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।
17. गार्ड फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग